

| योजना का नाम | पात्रता | देय राशि |
|---|----------------|--|
| <p>मानसिक रूप से मंद /अपंग बच्चों के लिए योजना (रूल-299)</p> | <p>सदस्यता</p> | <p>पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद /अपंग बच्चों, की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु0 20,000 /- (बीस हजार) की राशि प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाएगी।</p> |
| <p>Scheme for Mentally Retarded/ Disabled Children [Rule No.-299]</p> | | |